



13 September, 2023

किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी

संदर्भ: भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ICAR कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में पहले 'किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी' (GSFR) का उद्घाटन किया।

- भारतीय किसानों को PPVFR अधिनियम, 2001 के तहत पौधों की विविधता में उनके योगदान को महत्व देते हुए पुरस्कार दिए गए।
- 'पौधा प्राधिकरण भवन' और एक ऑनलाइन पौधा किस्म 'पंजीकरण पोर्टल' का उद्घाटन किया गया।
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की भूमिका का उल्लेख किया।
- राष्ट्रपति ने भारत की विविधता और किसानों को प्राथमिक खाद्य उत्पादक के रूप में रेखांकित किया।
- GSFR का आयोजन ICAR एवं कृषि अनुसंधान संगठनों के सहयोग से किया गया था।
- भारत, पौधों की विविधता पंजीकरण में किसानों के अधिकारों को शामिल करने में अग्रणी है।
- इस संगोष्ठी का उद्देश्य पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देना है।
- इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और किसान प्रतिनिधियों सहित 59 देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- GSFR का उद्देश्य किसानों को कृषि जैव विविधता के संरक्षक और वैश्विक खाद्य सुरक्षा संरक्षक के रूप में मान्यता देना है।

पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001

- उद्देश्य:
 - पौधों की किस्मों, किसानों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
 - देश में कृषि विकास में तेजी लाना तथा नई पौधों की किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
 - किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करके देश में बीज उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाना।
- अधिकार:
 - प्रजनकों एवं शोधकर्ताओं के अधिकार:
 - संरक्षित किस्मों के उत्पादन, बिक्री, वितरण, आयात और निर्यात के लिए विशेष अधिकार।
 - एजेंटों या लाइसेंसधारियों को नियुक्त करने और अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने की क्षमता।
 - किसानों के अधिकार:
 - नई प्रजातियों वाले पौधों के उत्पादक किसानों के लिए पंजीकरण एवं सुरक्षा।
 - किसान द्वारा विकसित किस्मों को मौजूदा रूप में पंजीकृत करने का विकल्प।
 - किसान संरक्षित किस्म के बीजों सहित अपनी कृषि उपज को बचा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या बेच सकते हैं।
 - पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मान्यता और पुरस्कार की पात्रता।
 - पौधे के खराब किस्म के प्रदर्शन की स्थिति में किसानों को मुआवजे का प्रावधान (धारा 39 (2))।
 - अधिनियम के तहत प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कोई शुल्क भुगतान नहीं।

विनिर्माण से कार्बन उत्सर्जन में कमी

सन्दर्भ: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में विकासशील देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए अस्थिर निर्माण प्रथाओं से हटकर कम कार्बन वाली निर्माण सामग्री अपनाने का आह्वान किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के उद्देश्य

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विकासशील देशों को अस्थिर निर्माण प्रथाओं से कम कार्बन निर्माण सामग्री में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- भवन निर्माण का विस्तार: विश्व स्तर पर प्रत्येक पांच दिन में पेरिस के आकार के बराबर इमारतों के तेजी से विस्तारीकरण।
- क्षेत्रीय प्रभाव की पहचान: स्वीकार करना कि पर्यावरण में निर्माण क्षेत्र; वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 37% के लिए जिम्मेदार है, जिसमें भवन, वितरण प्रणाली, सड़कें और परिवहन शामिल हैं।
- उत्सर्जन कटौती रणनीतियों को बढ़ावा दें: अपशिष्ट कटौती, टिकाऊ सामग्री और बेहतर उत्पादन विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए "उपेक्षा-परिवर्तन-सुधार" दृष्टिकोण के समर्थक।

निर्मित पर्यावरण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रकार

- सन्निहित उत्सर्जन: निर्माण से संबंधित उत्सर्जन, जिसमें निष्कर्षण, विनिर्माण, परिवहन और जीवन के अंत में विध्वंस शामिल है।
- परिचालन उत्सर्जन: इसमें भवन निर्माण के दौरान उत्सर्जन, जैसे हीटिंग, कूलिंग और बिजली की खपत शामिल है।

कार्बन उत्सर्जन में अनुमानित परिवर्तन

- कार्बन स्रोतों में बदलाव: परिचालन उत्सर्जन (भवन उपयोग से) से सन्निहित कार्बन उत्सर्जन (निर्माण और सामग्री से) की ओर अनुमानित बदलाव, जो 2050 तक 25% से बढ़कर 49% हो जाएगा।
- इमारतों का नवीनीकरण: विकसित देशों को मौजूदा इमारतों के नवीनीकरण को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है, जिससे नए निर्माण की तुलना में काफी कम उत्सर्जन होता है।
- नई इमारतों के लिए डिजाइन: नए निर्माण के लिए सर्कुलर डिजाइन रणनीतियों को शामिल करने की सलाह देना, जिससे स्थानान्तरण या नवीकरण के दौरान सामग्री की पुनर्प्राप्ति को सक्षम किया जा सके।

सर्कुलर अर्थव्यवस्थाओं के लिए आपूर्ति और मांग मॉडल

- सामग्री चक्र को बढ़ावा दें: एक आपूर्ति-और-मांग मॉडल विकसित करने का सुझाव देना, जिसमें इमारतों को सावधानीपूर्वक अलग करना और पुनर्विक्रय के लिए दूसरे-चक्र की सामग्री तैयार करना शामिल है।
- उत्सर्जन में कमी की संभावना: G7 देश, चीन और भारत आवासीय भवनों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग के माध्यम से उत्सर्जन में पर्याप्त कमी ला सकते हैं।

Face to Face Centres





13 September, 2023

कम कार्बन निर्माण सामग्री के लिए सिद्धांत

- बिल्डिंग जीवनकाल बढ़ाएँ: कुल सन्निहित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इमारतों का जीवनकाल बढ़ाएँ।
- सतत जैव-आधारित सामग्रियों का उपयोग: कार्बन-सघन कंक्रीट और स्टील के विकल्प के रूप में नवीकरणीय या पुनः प्रयोज्य टिकाऊ सामग्रियों, जैसे बड़े पैमाने पर लकड़ी और इंजीनियर बांस के उपयोग की वकालत करना।
- डी-कार्बोनाइज्ड ऊर्जा आपूर्ति: भवनों और शहरी बुनियादी ढांचे के उत्पादन और रखरखाव में उपयोग की जाने वाली सामग्री से संबंधित विद्युतीकरण और डी-कार्बोनाइजिंग ऊर्जा की सिफारिश करना।

कंक्रीट और इस्पात उत्पादन समाधान

- सीमेंट कार्बन कटौती: क्लिंकर-टू-सीमेंट (clinker-to-cement) अनुपात को कम करने और सीमेंट उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए सीमेंट विकल्पों के उपयोग को बढ़ाने का प्रस्ताव।
- कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (CCU) कंक्रीट: संभावित लाभ और चुनौतियों के साथ, निर्माण सामग्री में कार्बन को संग्रहीत करने की एक विधि के रूप में सीसीयू कंक्रीट का अन्वेषण करना।
- स्टील का पुनः उपयोग: ऊर्जा बचाने, मांग कम करने और भवन के जीवन काल को बढ़ाने के लिए स्टील के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना।
- एल्युमीनियम के लिए नवीकरणीय ऊर्जा: एल्युमीनियम उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और पुनर्चक्रित एल्युमीनियम के उपयोग में वृद्धि की वकालत करना।

(प्रतिवेदन: <https://www.buildingmaterialsandclimate.com/>)

जी-20 देशों के एनडीसी

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंथोनियो गुटेरेस ने जी-20 नेताओं से जलवायु संकट पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

- 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार सभी देशों को प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ प्रस्तुत करनी होंगी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के रूप में जाना जाता है।
- एनडीसी ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक है।
- क्लाइमेट वॉच (Climate Watch) के अनुसार, रूस और अर्जेंटीना को छोड़कर लगभग सभी जी-20 देशों ने दिसंबर 2020 और अप्रैल 2023 के बीच पहला अद्यतन एनडीसी प्रस्तुत किया।
- रूस ने 2020 में अपना पहला एनडीसी प्रस्तुत किया था लेकिन अभी तक कोई अपडेट प्रदान नहीं किया है।
- अर्जेंटीना ने नवंबर 2021 में अपना दूसरा एनडीसी प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय स्तर पर G20 देशों के नवीनतम योगदान

- अर्जेंटीना: 2030 तक शुद्ध उत्सर्जन को 349 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (MtCO₂e) तक सीमित करने का लक्ष्य है।
- ऑस्ट्रेलिया: 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 43% कम करने की योजना है।
- ब्राजील: 2005 के स्तर की तुलना में 2025 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 37% और 2030 में 50% कम करने का लक्ष्य है।
- कनाडा: इसका लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 40-45% कम करना है।
- चीन: 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 65% से अधिक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यूरोपीय संघ: 2030 तक शुद्ध घरेलू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करने की योजना है।
- भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करना है।
- इंडोनेशिया: 2030 तक 1,953 MtCO₂e (बिना शर्त) और 1,632 MtCO₂e (सशर्त) के उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य है।
- जापान: अपने वित्तीय वर्ष 2013 के स्तर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2030 में जीएचजी उत्सर्जन में 46% की कमी का लक्ष्य रख रहा है।
- मेक्सिको: 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन में 35% की कटौती का लक्ष्य।
- रूस: इसका लक्ष्य 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन को 1990 के स्तर के 70% तक कम करना है।
- सऊदी अरब: 2019 को आधार वर्ष मानते हुए 2030 तक 278 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सालाना जीएचजी उत्सर्जन को कम करने और इससे बचने की योजना है।
- दक्षिण अफ्रीका: इसका लक्ष्य 2030 तक GHG उत्सर्जन को 350-420 MtCO₂e की सीमा के भीतर रखना है।
- दक्षिण कोरिया: 2030 तक कुल राष्ट्रीय GHG उत्सर्जन को 2018 के स्तर से 40% कम करने का लक्ष्य है।
- तुर्की: 2012 आधार वर्ष के आधार पर सामान्य व्यवसाय परिदृश्य की तुलना में 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन को 41% तक कम करने की योजना है।
- यूके: इसका लक्ष्य 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था-व्यापी GHG उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करना है।
- US ने 2030 तक शुद्ध जीएचजी उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 50-52% कम करने का अर्थव्यवस्था-व्यापी लक्ष्य निर्धारित किया है।

एनडीसी क्या हैं?

- एनडीसी का अर्थ "राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान" है, जो अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक देश की योजना है।
- 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौता एनडीसी के लिए रूपरेखा तैयार करता है।
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक देश को अपने जलवायु उद्देश्यों की दिशा में काम करना चाहिए।
- एनडीसी को प्रत्येक पांच वर्ष में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) सचिवालय को प्रस्तुत किया जाता है।
- अगस्त 2022 में, भारत ने औपचारिक रूप से अपने एनडीसी को UNFCCC में अपडेट किया, और इस अपडेट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
- भारत का अद्यतन एनडीसी वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के देश के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

INDIA'S 'PANCHAMRIT' AT COP26

by Prime Minister Narendra Modi

1. Reach non-fossil energy capacity to 500GW by 2030
2. Fulfil 50% energy requirements via RE by 2030
3. Reduce 1 bn carbon emissions by 2030
4. Reduce carbon intensity >45% by 2030
5. Achieve the target of Net-Zero by 2070

Face to Face Centres



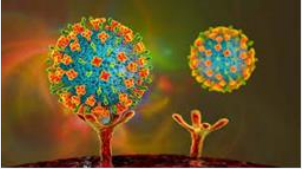
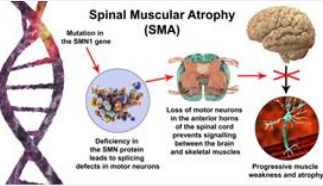


13 September, 2023

जी-20 शिखर सम्मेलन 2023 में विकास और टिप्पणियाँ:

- जी-20 ने विकसित देशों से 2025 तक अनुकूलन के लिए जलवायु वित्त को दोगुना करने का आग्रह किया।
- एनडीसी के अगले दौर की जानकारी सीओपी 28 के नतीजों से दी जाएगी।
- नई दिल्ली घोषणा में जलवायु-लचीला विकास का आह्वान किया गया है, इसमें विशिष्ट लक्ष्यों का अभाव है।
- एनडीसी लक्ष्यों को पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों के साथ संरेखित करने पर ध्यान देना आवश्यक है।
- महिलाओं और लड़कियों पर जलवायु के प्रभावों को स्वीकार करना, उनकी भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जलवायु संकट पर मजबूत जी-20 कार्यवाई का आह्वान किया।
- कई जी-20 देश शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने की राह पर नहीं हैं।
- 2020 में वैश्विक GHG उत्सर्जन के आधे के लिए सात G-20 देश जिम्मेदार हैं।
- G-20 सामूहिक रूप से वैश्विक GHG उत्सर्जन का 75% हिस्सा है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

निपाह वायरस 	क्या है निपाह वायरस? निपाह वायरस (एनआईवी) एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। वायरस वर्गीकरण: निपाह वायरस एक आर. एन. ए. (रिबोन्यूक्लिक एसिड) वायरस है जो पैरामिक्सोविरिडे परिवार और जीनस हेनिपावायरस से संबंधित है। यह हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। निपाह वायरस की पहचान पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में प्रकोप के दौरान की गई थी। प्रेजनान: शुरुआत में यह वायरस घरेलू सूअरों में पाया गया था परन्तु बाद में कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित विभिन्न घरेलू पशुओं को इससे संक्रमित पाया गया है। संचरण: निपाह और हेंड्रा वायरस के लिए प्राथमिक प्राकृतिक वाहक फल चमगादड़ हैं, जिन्हें आमतौर पर 'फ्लाईंग फॉक्स' के रूप में जाना जाता है, जो जीनस टेरोपस से संबंधित हैं। लक्षण: लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, भूतकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और गंभीर मामलों में मृत्यु शामिल हैं। उपचार: सहायक देखभाल और लक्षणों का प्रबंधन प्रभावित व्यक्तियों के इलाज में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक दृष्टिकोण हैं।
भोज आर्द्रभूमि 	के बारे में: ➤ भोज आर्द्रभूमि भारत के भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ➤ भोज आर्द्रभूमि, जिसे भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक रामसर स्थल है, जिसे 1971 में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। ➤ भोज आर्द्रभूमि को 2002 में रामसर स्थल का दर्जा मिला, जो संरक्षण के लिए इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। ➤ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, पर्यावरण की रक्षा करने, प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया। ➤ आर्द्रभूमि में दो प्रमुख झीलें शामिल हैं-ऊपरी झील और निचली झील। ये दोनों झीलें मिलकर भोज आर्द्रभूमि का निर्माण करती हैं। ➤ आर्द्रभूमि जैव विविधता में समृद्ध है, जिसमें मैक्रोफाइट्स, फाइटोप्लांकटन, जूप्लांकटन, विभिन्न मछली प्रजातियाँ, निवासी और प्रवासी पक्षी, कीड़े, सरीसृप और उभयचर हैं। ➤ हाल ही में क्रूज जहाजों और मोटर चालित नौकाओं के संचालन जैसी गतिविधियों के कारण भोज आर्द्रभूमि को हुए क्षति से चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
ब्लैक होल्स 	निर्माण: ब्लैक होल का निर्माण विशाल तारा सुपरनोवा विस्फोटों से होता है। अत्यधिक घनत्व: उनमें असाधारण रूप से उच्च घनत्व होता है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से कॉम्पैक्ट बनाता है। गुरुत्वाकर्षण बल: ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। पहचान: खगोलविद आस-पास के तारों पर गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखकर उनकी पहचान करते हैं। एक्स-रे उत्सर्जन: ब्लैक होल आस-पास के तारों से पदार्थ खींचते समय एक्स-रे का उत्सर्जन करते हैं। सिग्नस एक्स-1: सिग्नस एक ज्ञात ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान सूर्य से छह गुना अधिक है।
रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष 	स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) या रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष एक आनुवांशिक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्रमिक क्षति होती है, जिससे मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। यह SMN1 जीन में खराबी के कारण होता है। एसएमए प्रोटीन की भूमिका: एसएमए प्रोटीन जीन एसएमए प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिका के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। मांसपेशियों पर प्रभाव: एसएमए प्रोटीन कम होने से रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं धीरे-धीरे नष्ट हो जाती हैं। एसएमए के प्रकार: एसएमए को गंभीरता के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: ➤ एसएमए प्रकार 1: यह सबसे गंभीर रूप है, इसमें स्वतंत्र रूप से बैठना कठिन होता है। ➤ एसएमए प्रकार 2: इसमें बिना सहारे के बैठना संभव होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से चलना कठिन हो जाता है। ➤ एसएमए प्रकार 3: यह इस समस्या का हल्का रूप है, इसमें व्यक्ति कुछ समस्याओं के साथ स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। एसएमए उपचार: इसके तीन उपचार विकल्प उपलब्ध हैं: ➤ स्पिनराजा (नुसिनर्सन): स्पाइनल इंजेक्शन के माध्यम से एसएमए प्रोटीन स्तर बढ़ाता है।

Face to Face Centres



13 September, 2023

	➤ जोलगेन्समा: यह एकल-खुराक अंतःशिरा जलसेक के रूप में प्रशासित है, यह दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुमोदित है। ➤ रिसडिप्लम: यह मौखिक उपचार है इसे जीवन भर प्रतिदिन लेना पड़ता है।
भारत का गिफ्ट हैम्पर 	दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने देश के समृद्ध शिल्प और परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए विश्व के नेताओं को उपहार भेंट किए। हस्तनिर्मित वस्तुएं: हैम्पर में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तैयार की गई विभिन्न हस्तनिर्मित वस्तुएं शामिल थीं। उत्कृष्ट संदूक : सभी वस्तुओं को सुंदर ढंग से एक संदूक में पैक किया गया था, जिसमें भारतीय शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाले जटिल पीतल के विवरण(detailing) थे। शीशम की लकड़ी: संदूक को शीशम (भारतीय शीशम) का उपयोग करके बनाया गया था, जो अपने स्थायित्व और पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। हैम्पर की सामग्री: हैम्पर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं जैसे: ➤ जम्मू-कश्मीर का केसर, जिसे दुनिया का सबसे महंगा मसाला कहा जाता है। ➤ दार्जिलिंग और नीलगिरी से चाय की किस्में। ➤ आंध्र प्रदेश में जैविक बागानों से अराकू कॉफी। ➤ सुंदरबन में ग्रोव वन से विशेष शहद। ➤ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जिघराना इत्र जो भारत की उत्कृष्ट इत्र बनाने की परंपरा को प्रदर्शित करता है। ➤ कश्मीरी पश्मीना शॉल जो चांगथांगी बकरियों से प्राप्त होती है। ➤ खादी दुपट्टा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और फैशन का प्रतीक है।
मुंद्रा बंदरगाह 	हाल ही में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर 26.8 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित बाजार मूल्य के साथ ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्राचीन फर्नीचर को जब्त किया। मुंद्रा बंदरगाह के बारे में: ➤ मुंद्रा बंदरगाह भारत के गुजरात में कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। ➤ इसे शुरू में अदाणी समूह के स्वामित्व वाले मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एमपीएसईजेड) द्वारा संचालित किया गया था। बाद में इसका विस्तार अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड में हुआ। (APSEZ). ➤ इसे 1998 में गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जी. ए. पी. एल.) के रूप में शामिल किया गया था और 2001 में परिचालन शुरू किया गया था। ➤ बाद में इसे मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड में विलय कर दिया गया और 2012 में इसका नाम बदलकर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) कर दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के बारे में ➤ डीआरआई तस्करी विरोधी मामलों के लिए भारत की प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत काम करती है। ➤ इसकी स्थापना 4 दिसंबर, 1957 को हुई थी। ➤ डीआरआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें देश भर में 12 ज़ोन इकाइयाँ, 35 क्षेत्रीय इकाइयाँ और 15 उप-क्षेत्रीय इकाइयाँ शामिल हैं।
समाचारों में स्थान लीबिया	लीबिया (राजधानी: त्रिपोली) हाल ही में, पूर्वी लीबिया विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके परिणामस्वरूप 5,300 से अधिक लोगों के मारे जाने और हजारों के लापता होने की आशंका है। स्थान: लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में भूमध्य सागर से लगती है। इसकी भूमि सीमाएँ पूर्व में मिस्र, दक्षिण-पूर्व में सूडान, दक्षिण में चाड और नाइजर, पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर-पश्चिम में ट्यूनीशिया से लगती हैं। भाषा: अरबी लीबिया में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। मुद्रा: लीबियाई दीनार ऐतिहासिक समयरेखा: स्वतंत्रता: लीबिया को 1951 में स्वतंत्रता मिली। तेल संपदा: आजादी के तुरंत बाद, तेल की खोज से देश में अपार संपदा आई। गद्दाफी का शासन: कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 में सत्ता पर कब्जा कर लिया और चार दशकों तक शासन किया। 2011 की क्रांति: पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप के साथ एक सशस्त्र विद्रोह के बाद 2011 में गद्दाफी को अपदस्थ कर दिया गया था। 

POINTS TO PONDER

- ❖ विशेष अभियान 3.0 के लिए कौन सा मंत्रालय/विभाग नोडल मंत्रालय/विभाग के रूप में कार्य करेगा? - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- ❖ "बुरा पैसा अच्छा पैसा खत्म कर देता है" ("bad money drives out good") यह कानून किसने दिया है? - थॉमस ग्रेशम
- ❖ NASSCOM के नए वीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? -सिंधु गंगाधरन
- ❖ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में पर्वतों की कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? - एटलस पर्वत
- ❖ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

Face to Face Centres

